सं० 3874 और 4860 के दिये गये उत्तरों को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार से इस आशय की कोई सिफारिश की है कि गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को 56 वार्डों में सहायता के रूप में प्रति व्यक्ति 200/- रुपये की राशि वितरित की जायेगी, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई 7 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, यदि हां, तो अभी भी वितरित किये जाने के लिये कितनी धनराशि शेष है और वह कब तक दे दी जायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी सिफारिश की थी । उच्चतम न्यायालय के कहने पर यह निर्णय किया गया है कि दूसरे चरण में अंतरिम राहत का भुगतान गंभीर रूप से प्रभावित 36 वार्डों के आयकर, संपत्ति कर दाताओं, सपत्ति कर और बिक्री-कर निर्धारितियों, सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के अलावा अन्य दावेदारों तक ही सीमित किया जाये ।

(ख) गैस पीड़ितों के लिये राहत और पुनर्वास हेतु 7 वर्ष की कार्य योजना के लिये प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से 1988 में प्राप्त हुआ था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 163.10 करोड़ रु० की 5 वर्षीय योजना को 1.4.90 से प्रभाव में आई, को मंजूर किया था । इस संबंध में खर्च को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करेगी । अब तक 96 करोड़ रु० की राशि खर्च की जा चुकी है और केन्द्रीय सरकार का शेष हिस्सा किस्तों में दिया जायेगा जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करेगा ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

6862. श्री लक्खी राम अग्रवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 1989 के खरीफ और रबी मौसमों में उज्जवला एवं प्रताप ब्रांड के यूरिया की बिक्री की थी, यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इसकी बिक्री की मात्रा का जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1989 के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान मध्य प्रदेश में उर्वरकों के भंडारण के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में प्रत्येक उर्वरक भंडारण केन्द्र की वर्ष 1989 की आरक्षित मात्रा का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में निजी विक्रेताओं के लिये "डीलर आफ साईट" (डी.एस.पी.) के नाम से 1989 में खरीफ और रबी मौसमों में उर्वरक भंडारण की कोई योजना थी, यदि हां, तो प्रत्येक भंडारण केन्द्र और उसकी भंडारण क्षमता का जिला वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1989 के दौरान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को राज सहायता के रूप में दी गई कुल राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां, 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश के 45 जिलों में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी एफ) द्वारा बिक्री की गयी उज्जवला

और प्रताप ग्रांड यूरिया की मात्राएं निम्न प्रकार हैं :

(हजार मी. टन में)

खरीफ 1989	60.87
रबी 1989-90	21.65
योग :	82.52

(ख) 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में उर्वरकों के भंडारण के लिये आर.सी.एफ. की योजना अनिवार्यत: मध्य प्रदेश राज्य भंडागार निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के गोदामों पर आधारित थी । आर.सी.एफ. ने खरीफ 1989 के दौरान निजी गोदाम भी किराये पर लिये । रबी 1989-90 के दौरान आर.सी.एफ. ने मध्य प्रदेश को यूरिया के आवंटन के स्तर में कमी के कारण, कम्पनी द्वारा किराये पर लिये गये निजी गोदाम चरणों में बन्द कर दिये गये ।

(ग) 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में आर.सी.एफ. द्वारा किराये पर ली गई शीर्ष आरक्षित क्षमता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(हजार मी. टन में)

संस्था	एककों की सं0	शीर्ष आरक्षित क्षमता
केन्द्रीय भण्डागार निगम	7	7.20
मध्य प्रदेश राज्य भण्डागार निगम	37	37.22
निजी	28	38.40
योग :	72	82.82

(घ) "डीलर स्टाक पाइंट" योजना, जो 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में चालू थी, के अन्तर्गत योजना के अधीन आने वाले भंडारण केन्द्रों की शीर्ष क्षमता निम्न प्रकार थी :

(हजार मी. टन में)

क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	शीर्ष क्षमता
इंदौर	92	3.95
भोपाल	11	0.27
जबलपुर	154	8.11
रायपुर	51	1.27
योग :	308	13.60

(ङ) विभिन्न राज्यों को प्रथित उर्वरकों के आधार पर 1989-90 के दौरान प्रतिधारण मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत आर.सी.एफ. को स्वीकार्य राज सहायता निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रु0 में)

राज्य	राज सहायता
महाराष्ट्र	164.91
गुजरात	03.95
मध्य प्रदेश	11.26
कर्नाटक	28 21
आंध्र प्रदेश	59.19
तमिलनाडु	09.95
उत्तर प्रदेश	08.09
पंजाब	03.56
हरियाणा	04.05
पश्चिम बंगाल	19.42
बिहार	01.54
यो. :	314.13